संक्षिप्त

विश्व वन्य जीव दिवस मनाया

अजमेर, (कासं)। विश्व वन्य जीव दिवस के असवर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पक्षियों के लिए परिण्डे एवं चुग्गा पात्र रखे गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल कुमार चौबीसा ने बताया कि विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च के उपलक्ष पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालयों, बाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्प्रेक्षण गृह, बाल गृह, बालिका गृह जिले के समस्त 23 छात्रावासों, आवासीय विद्यालय केकडी में जिले की स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पक्षियों के पानी के लिए 201 परिण्डे एवं दाने के लिए चुग्गा पात्र रखे गए। इनमें पानी एवं अनाज की व्यवस्था भी की गई है। इससे ग्रीष्मकाल में वन्य जीवों के प्राणों की रक्षा होने के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र को अक्षुण्ण बनाने में सहयोग होगा।

एडीए द्वारा पट्टे बनाने का कार्य जारी

अजमेर, (कासं)। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे बनाने का कार्य प्रशासन शहरों के संग अभियान के पश्चात भी अनवरत जारी है। अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव किशोर कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे जारी करने का कार्य किया गया था। वर्तमान में इस अभियान को स्थगित कर दिया गया है। प्राधिकरण आमजन को राहत पहुंचाने के लिए लगातार पट्टे जारी कर रही है। गत दो माह में 517 से अधिक पट्टे जारी किए गए है। भविष्य में भी इसी प्रकार पट्टे जारी किए जाएंगे। प्राधिकरण क्षेत्र के भूखण्ड धारक पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है। आमजन को अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर पट्टा प्राप्त करना चाहिए।

राजकीय संग्रहालय खुलेगा सातों दिन

अजमेर, (कासं)। अजमेर स्थित राजकीय संग्रहालय अब पर्यटकों के अवलोकनार्थ पूरे सप्ताह (सात दिवस) खोला जाएगा। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की संग्रहाध्यक्ष रूमा आजम ने बताया कि इससे पर्यटकों को प्रतिदिन संग्रहालय का अवलोकन करने का अवसर मिलेगा।

चौकडीवाल का निधन

नसीराबाद, (निसं)। वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश चौकडीवाल का गुरुवार को आकस्मिक निधन हो गया। निधन के समाचार मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई।

भीलवाड़ा कलेक्ट्री परिसर में हेलमेट हुआ अनिवार्य, पहले दिन समझाइश की

भीलवाड़ा, (निसं)। भीलवाड़ा कलेक्ट्री में गुरुवार से बिना हेलमेट प्रवेश पर पूर्णत रोक लगा दी गई है। कलेक्टर के आदेश की पालना करवाने के लिए प्रवेशद्वार पर ट्रेफिक पुलिस को तैनात कर दिया गया है। वहीं दूसरी और दुपहिया वाहन लेकर अपने काम के लिए आये लोगों को हेलमेट नहीं पहने होने से प्रवेश नहीं दिया गया। इसके चलते ऐसे लोगों को बैरंग लौटना पड़ा।

जिला कलेक्टर मोदी ने बताया कि जनहित व जन सुरक्षा के मध्यनजर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित समस्त कार्यालयों जिनमें जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद, उपखंड व तहसील व कोष कार्यालय, रसद व सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, सांख्यिकी कार्यालय, आयोजना विभाग, अनुजा निगम आदि में कार्यरत समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले आगंतुकों को 3 मार्च गुरुवार से आईएसआई मार्का हेलमेट पहन कर आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। जिला कलक्टर मोदी के आदेशानुसार दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का उपयोग नहीं किया जाने पर कलेक्टर कार्यालय परिसर में सख्ती से प्रवेश वर्जित रहेगा एवं आगंतुकों से नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। साथ ही कार्मिकों द्वारा उक्त आदेशों एवं नियमों का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश की पालना करवाने के लिए गुरुवार को ट्रेफिक पुलिसकर्मी तैनात किये गये। पुलिसकर्मियों ने बिना हेलमेट आये कर्मचारियों व नागरिकों को कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके चलते लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। पुलिस की सख्ती की शुरुआत कलेक्ट्री बिना हेलमेट के आए एक युवक का एक हजार रुपए का चालान काट कर की गई। खुद जिला कलेक्टर मोदी भी मुख्य द्वार पर पहुंचे और वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना को लेकर समझाइश की।

बिना हेलमेट वाहन चालकों से कलेक्टर ने समझाइश की।

यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव

अजमेर, (कासं)। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आवासीय एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से की गई पहल ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज में अजमेर स्मार्ट सिटी द्वारा सर्वे कर सुझाव लिए गए। अजमेर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में शहरवासियों के आवागमन को बेहतर बनाने के लिए आमजन एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने फीडबैक दिए।

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने, उन्हें सुरक्षित, किफायती और अधिक विश्वसनीय बनाने के मकसद से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत देश भर के शहरों के बीच ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था। सर्वे के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन में भीड़-भाड़, अधिक किराया, लम्बी दूरी में तय करने वाला समय जैसी अमजन की समस्याओं को ट्रांसपोर्ट फॉर चैलेंज के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया गया। उल्लेखनीय है कि सर्वे के माध्यम से आमजन से 28 प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को जानने का प्रयास किया गया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले आमजन ने यात्रा के दौरान बस या ऑटो में होने वाली असुविधा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किस प्रकार और बेहतर बनाया आदि पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

पुष्कर का बाजार रहा बंद, गुरुद्वारा बस स्टैंड से बस से चलाने की मांग

पुष्कर, (निसं)। गुरुद्वारे वाले बस स्टैंड से पुन: रोडवेज बसे चालू करवाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने बाजार बंद किया। रामधाम से बद्रीघाट तक का बाजार शत प्रतिशत बंद रहा। गुरद्वारे से प्राइवेट बस स्टैंड से रोडवेज विभाग को सालाना लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है क्योंकि यहां से प्राइवेट बस से यात्रियों से भरी चांदी कुट रही है नुकसान उठाने के बावजूद रोडवेज विभाग यहां से गाडियां चलाने के लिए राजी क्यों नहीं है। इसमें भी एक गहरी राजनीति नजर आ रही है।

■ रोडवेज अधिकारियों को आड़े हाथ लिया स्थानीय लोगों ने

पुष्कर स्थित गुरुद्वारा बस स्टैंड से रोडवेज बसों का संचालन बंद होने के बाद रामधाम से लेकर स्थानीय बद्री घाट के सैकड़ो व्यापारियों के समक्ष रोजी रोटी का गंभीर संकट उत्पन्न हो चुका है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु यात्री जोकि पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं साथ ही नया रंगजी मंदिर में लगने वाले झूले व सवारियों के दर्शन करने आते हैं उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर यहां से बस से संचालित होगी तो यात्री गुरुद्वारे बस स्टैंड आ कर सभी मंदिरों के दर्शन भी करेंगे और झूले और सवारियों का आनंद भी ले सकेंगे। इस इलाके के लगभग 500 से ज्यादा व्यापारियों की हालत आज बेरोजगारों से भी बदतर हो चुकी है। महंगे किराये के साथ साथ बिजली का बिल और दुकान पर काम करने वाले स्टाफ की तनख्वाह जुटा पाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। इसी बात से परेशान व्यापारियों ने आज रामधाम से बद्री घाट के बाजार को पूर्ण रूप से बंद रखकर जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के समक्ष अपनी पीड़ा का इजहार किया। साथ ही जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल को ज्ञापन भी सौंपा। खास बात यह रही कि व्यापारियों की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सुखाराम पिंडेल ने ना सिर्फ जिला कलेक्टर अंशदीप को इस मामले में हस्तक्षेप करके रोडवेज अधिकारियों को पुष्कर भिजवाने का आग्रह किया। बल्कि व्यापारियों और रोडवेज के अधिकारियों के बीच सेतु बनकर दोनों पक्षो की बातचीत भी करवाई।

बैठक के दौरान राजस्थान रोडवेज के मुख्य प्रबंधक अजमेर आगार जावेद अली, प्रबंधक अजमेर आगार सुदीप शर्मा एवं आगार प्रबंधक यातायात त्रिलोक वैष्णव मौजूद रहे तो वही व्यापार एसोसिएशन की और से अध्यक्ष राजेश करीठ, कमल रामावत, कांग्रेस नेता ओम प्रकाश डोल्यां, महावीर शर्मा, मनोहर भाटी सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे।

एसडीएम सुखाराम पिंडेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि एक और जहां व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट है तो वही रोडवेज अधिकारियों के सामने बसों के साथ साथ स्टाफ की बेहद कमी की समस्या है। लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षो ने सकारात्मक रुख दिखाया। आने वाले एक सप्ताह में रोडवेज प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से 2 बसे पुष्कर गुरुद्वारा बस स्टैंड से अजमेर तक चालू हो जाएगी, साथ ही अजमेर नगर निगम द्वारा वर्तमान में चल रही बसों को भी अब आगे से मारवाड़ बस स्टैंड की बजाय गुरुद्वारे से ही अजमेर के लिए रवाना की जाएगी।

यूक्रेन में भारतीय छात्रों की मौत दुखद : राठौड़

अजमेर, (कासं)। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने यूक्रेन में भारतीय छात्रों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यूक्रेन की परिस्थितियों में राजस्थान के छात्र छात्राओं एवं अन्य को सकुशल वापसी के लिए पुख्ता व्यवस्था करने की मांग की। निगम अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि भारत सरकार को उच्चतम स्तर पर वार्ता कर सभी भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकालने निकाला जाए एवं यूक्रेन की परिस्थितियों में भारतीयों को अपने हाल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार आतंकवादियों को छोड़ने के लिए विदेश जा सकती है तो भारतीयों को सकुशल लाने के लिए यूक्रेन क्यों नहीं जा सकती। निगम अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्रालय से नियमित संपर्क कर राजस्थान के छात्रों एवं अन्य को सकुशल वापसी के लिए अनुरोध किया है।

मदनगंज-किशनगढ़ : आजाद नगर निवासी समाजसेवी तेजपाल बेणावत ने देहदान करने का संकल्प लिया। भारत विकास परिषद की प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तेजपाल बेणावत पुत्र रामबल्लभ अगरवाल ने स्वैच्छिक रूप से देहदान प्रकल्प प्रपत्र भरकर संकल्प लिया कि मरणोपरांत उनकी देह को चिकित्सा अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु राजकीय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अथवा निकटतम मेडिकल कॉलेज को दे दी जाये। अपने दोनों पुत्र एवं पुत्रियों से बात करने के बाद निर्णय लिया। इनके पुत्र महेश बैनावत ने बताया कि पिता की इच्छानुसार सभी से सहमति जताई। ज्ञातव्य रहे कि भाविप अभी तक 4 देहदान तथा 274 जोड़ें नेत्रदान करवा चुकी है। इस अवसर पर भाविप के विजय शर्मा, महेंद्र मित्तल, नंदकिशोर अगरवाल, भगवान बाहेती मौजूद रहे।

सार-समाचार

कार्यकारिणी घोषित, बैठक रविवार को

भीलवाड़ा, (निसं)। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक समिति पुराना भीलवाड़ा शहर महावीर भवन नाड़ी मोहल्ले की वर्ष 2022 हेतु निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष नाथू लाल छाजेड़ द्वारा संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत कार्य समिति का गठन करते हुए महामंत्री पंकज पोखरना, उपाध्यक्ष लक्ष्मी लाल खमेसरा, सह मंत्री भूपेश कुमार सिंघवी, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार नागोरी, संगठन मंत्री गोवर्धन सिंह कावड़िया एवं मनोहर लाल छाजेड़, प्रचार मंत्री रतनलाल धूपिया एंव मीडिया प्रभारी मनीष जैन को मनोनीत किया। श्री संघ , सागरमल पनगड़िया, रामसिंह चौधरी, मानमल डांगी, धर्मचंद नंदावत, पारसमल कोठारी के संरक्षण एवं दलपत डांगी, आनंद पीपाड़ा, पारसमल कुकड़ा, नरेंद्र सिंह पीपाड़ा के मार्गदर्शन में कार्य करता रहेगा। इसके अतिरिक्त समिति की गतिविधियों को योजनाबद्ध क्रियान्वित करने के लिए वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्यों एवं युवा साथियों का मनोयन किया गया है। कार्य समिति के सभी सदस्यों की प्रथम आवश्यक बैठक रविवार को प्रात: नौ बजे महावीर भवन में रखी गई हैं। जिसमें वर्ष 2022 का चातुर्मास हेतु चर्चा, गत वर्ष की कार्यवाही की पुष्टि, नव निर्वाचित सदस्यों का परिचय , कार्य समिति के कार्य का आदान-प्रदान किया जाएगा।

नसीराबाद में निकली दुल्हन की बिंदोरी

नसीराबाद, (निसं)। कस्बे में गुरुवार को दुल्हन की बिंदोरी निकाली गई। कस्बे के मुख्य बाजार में कलश यात्रा के बीच गाजे-बाजे के साथ दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर निकली तो बिंदोरी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई कस्बे के शिव कुमार ने बताया कि उसकी पुत्री नीलम का विवाह अजमेर हुआ है। उसका सपना था कि अपनी पुत्री की बिंदोरी निकाले जो कि उसका सपना पूरा हुआ। दुल्हन नीलम ने खुशी के साथ बताया कि उसके पिता का सपना था कि उसकी शादी हो तो बिंदोरी निकाले मैं मेरे पिता के सपना पूरा होने से बहुत खुश हूं।

श्री रसिक रंग महोत्सव 12 मार्च को

अजमेर, (कासं)। प्रेम समरसता सौहार्द का पर्व होली के पावन अवसर पर अजमेर जिला वैश्य महासम्मेलन का फाग महोत्सव श्री रसिक रंग महोत्सव 12 मार्च शनिवार को आयोजित किया जाएगा। जिला कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि इस उत्सव में दिल्ली से मनीष चौहान सुशांत वशिष्ठ , शिवम कौशिक, दीपेश सुनेजा, निकुंज देव, केशव चौधरी के अतिरिक्त श्री राधा सर्वेश्वर लीला संस्थान के रस आचार्य त्रिवेदी। ठाकुर जी की फाग की लीलाओं का मंचन करेंगे। व्यवस्थाओं के सफल संचालन हेतु विभिन्न समितियों का गठन कर जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्य संरक्षक कालीचरण दास खंडेलवाल ने शहर के सभी रसिक जन एवं समाज बंधुओं को उत्सव में भाग लेने की अपील की। जिला अध्यक्ष रमेश तापडिया एवं महामंत्री उमेश गर्ग ने बताया कि इस उत्सव में स शुल्क प्रसादी का भी आयोजन किया गया है। जिसके प्रसादी कूपन शहर के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है।

'खेल को खेल की भावना से खेलें'

कुचामनसिटी, (निसं)। कुचामन शहर के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय एलियन पब्लिक स्कूल में आज फैबुलस फेब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संपतराम जांगिड़ , ललिता जांगिड़ , व विशिष्ट अतिथि कैड डेस्क के निदेशक बी.एल. कुमावत थे। कार्यक्रम के शुभारंभ में रेड रोज हाउस के कप्तान सीमा, सुमित , लकी , ब्लू डायमंड हाउस के कप्तान देवेंद्र, मोहित राज, मीत, ग्रीन नेचर हाउस के कप्तान गौरव, नीरज, मुकुल सैफरन शाइन हाउस के कप्तान पूजा करण, जसवंत व वाइट स्नो हाउस के कप्तान साक्षी, जहान्वी निलाक्ष ने अपनी अपनी टीम के साथ मार्च किया। बी एल कुमावत ने अपने उद्बोधन में बच्चों को अनुशासन के साथ तथा खेल को खेल की भावना से खेलने पर जोर दिया। फैबुलस फैब की शुरुआत इंग्लिश हैंडराईटिंग कॉम्पिटिशन के साथ हुई तथा कल 4 मार्च को बलून पॉप रिले रेस तथा म्यूजिकल चेयर का आयोजन किया जाएगा।

शिविर में 156 रोगियों की जांच

मदनगंज-किशनगढ़, (निसं)। सेवा भारती की ओर से आयोजित तीन दिवसीय नि:शुल्क फिजियोथैरेपी शिविर में 156 रोगियों की जांच की गई। शिविर का विधिवत शुभारंभ अध्यक्ष सीताराम बंसल व डॉ. प्रियल मित्तल ने दीप प्रज्वलित कर किया। सचिव गिरधर पुरोहित ने बताया शिविर में 156 रोगी लाभान्वित हुए। अनियमित शैली से शारीरिक व्यायाम की कमी से मांसपेशियों में खिंचाव जैसी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जिसका फिजियोथैरेपी पद्धित से गारंटी से इलाज संभव है। प्रभारी राजेश नवहाल बताया कि लकवे के कारण या पुरानी चोट से रोगी चल नही पाता, सर्वाइकल दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन दर्द, कंधे का दर्द, कमर दर्द आदि रोग से पीड़ित रोगियों के लिए फिजियोथेरेपी द्वारा इलाज संभव है। धर्मेंद्र सोनी, राजकुमारी वर्मा व सीमा साहु ने सेवाएं दी।

भाजपा पार्षदों ने ईओ को ज्ञापन सौंपा

गुलाबपुरा, (निसं)। स्थानीय नगर पालिका में जनसमस्याओं व बोर्ड मीटिंग की मांग एवं भेदभाव पूर्ण विकास कार्यों के विरोध में भाजपा पार्षदों ने पूर्व चेयरमैन नेता प्रतिपक्ष धनराज गुर्जर के नेतृत्व में पालिका अधिशाषी अधिकारी जगदीश लाल सोलंकी को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान पालिका वाईस चेयरमैन सावर नाथ योगी, पार्षद गोपेश मैठाणी, रामदेव बेरवा, हेमन्त कुम्भकार, सोमेश्वर पांडे, महादेव जाट, पार्षद प्रतिनिधि विकास मेवाडा, राजेन्द्र रेगर, दीपक गर्ग, धर्मीचंद गुर्जर, विनोद मेवाड़ा व प्रकाश सेन सहित मौजूद थे।

आम सूचना

सर्व साधारण हर खास ओर आम को असील मेरे अनुराग दाधीच पुत्र श्री महावीर प्रसाद दाधीच निवासी 389, नवाल मौहल्ला, रामसर, नसीराबाद जिला अजमेर (राज.) की ओर से सूचित करता हूँ कि असील मेरे का अविनाश दाधीच पुत्र श्री गणेशचन्द दाधीच निवासी श्री मेडिकल स्टोर, अजमेरी गेट, श्रीराम नगर, फुलेरा जिला जयपुर ने असील मेरे की कृषि आराजियात मौजा भगवान तहसील पीसांगन जिला अजमेर की आराजी संख्या नम्बर 915/1521, 915/1818, 918, 919/1817, 920/1816 कुल किता-5 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर में से उसके 2/3 हिस्सा बाबत आपसे रहे लव एंड अफैक्शन के चलते उस बाबत मुख्त्यारआम वसीयतनामा दिनांकित 24.01.2022 का असील मेरे से अपने हक में निष्पादित करवाये जिनको असील मेरा निरस्त कर चुका है। परन्तु उक्त अविनाश दाधीच द्वारा उक्त दस्तावेजात का दुरूपयोग करते हुए असील मेरे की उक्त सम्पति को हस्तानान्तरित करने का प्रयास किया जा रहा है। अत: यदि किसी के द्वारा मेरे असील की उक्त सम्पत्ति या उसके भाग को खरीद फरोख्त करने का किसी प्रकार से कोई सौदा उक्त अविनाश दाधीच से किया या करवाया गया तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा असील मेरे का कोई वास्ता सरोकार नही होगा, ना ही असील मेरे को उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा, सो सूचित रहे।

अजमेर। भवदीय (मनोज कुमार कोटिया)
दिनांक 02/03/2022 एडवोकेट मो. 9928994165

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक:-अविप्रा/प.3/भू.उ.परि./2022/1326 दिनांक 03.03.2022

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प.11 (08) नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	प्लॉट नम्बर	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेन्ट प्लान2033(जोन2) के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	9
1	श्री रणवीर सिंह खुराना पुत्र श्री सरदार महेन्द्र सिंह	पंचशील नगर	भूखण्ड संख्या सी-2	324.00 वर्गमीटर	मिश्रित	आवासीय	व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति/कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में दर्ज करावें। अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

सदस्य सचिव (भू-उपयोग परिवर्तन समिति) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण
मूल आवंटी ऑब्लिक अंतरित के मूल दस्तावेज गुम हो जाने पर फ्री होल्ड पट्टा जारी करने के क्रम में आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की कोटडा (पत्रकार कॉलोनी) आवासीय योजना में भूखंड संख्या 1584 क्षेत्रफल 175.50 वर्ग मीटर श्री महेश प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र श्री राम प्रसाद श्रीवास्तव को आवंटित किया गया है, जिसका पट्टा क्रमांक 7556 दिनांक 22.01.2003 एवं आवंटन पत्र क्रमांक 930-03 दिनांक 11.4. 2002 को जारी किया गया है। मूल आवंटी द्वारा उक्त भूखंड को बेचान जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर 1. श्री कृपा शंकर त्रिपाठी पुत्र श्री रमाशंकर त्रिपाठी 2. श्रीमती सपना उपाध्याय पत्नी श्री अमित उपाध्याय को कर दिया है। श्री कृपा शंकर त्रिपाठी एवं श्रीमती सपना उपाध्याय द्वारा शपथ पत्र व गुमशुदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मूल लीज डीड पट्टा आवंटन पत्र लिंक दस्तावेज गुम हो गए हैं, अत: भूखंड संख्या 1584 कोटडा आवासीय (पत्रकार कॉलोनी) योजना का फ्री होल्ड पट्टा श्री कृपा शंकर त्रिपाठी एवं श्रीमती सपना उपाध्याय के पक्ष में जारी किए जाने से किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के भीतर-अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें। उक्त अवधि के पश्चात आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जाएगा।

प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ जिला-अजमेर (राज.)

क्रमांक-नपकि/PWC/2022/195 **आम सूचना** दिनांक : 3.3.2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हुक्मीचन्द मीणा पुत्र श्री भंवरलाल, द्वारा राजस्व ग्राम मदनगंज, भूखण्ड सं., क्षेत्रफल 167.89 वगर्गज, खसरा सं. 961, मीणा चक्की राजा रेड्डी, मदनगंज किशनगढ पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति चाहने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है =

पूर्व में: 38 आम रास्ता पश्चिम मे : कल्याणजी का भूखण्ड
उत्तर में : 18 आम रास्ता दक्षिण मे : सरकारी भूमि

अत: उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी।

आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक:-अविप्रा/प.3/भू.उ.परि./2022/1331 दिनांक 03.03.2022

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प.11 (08) नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	प्लॉट नम्बर	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेन्ट प्लान2033(जोन2) के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	9
1	1. श्री देवकरण फुलवारी पुत्र श्री माधुलाल फुलवारी 2. श्री मनोहर फुलवारी पुत्र श्री माधु लाल फुलवारी 3. श्री महेश फुलवारी पुत्र श्री माधुलाल फुलवारी	थोक मालियान	खसरा नं. 5782 भूखण्ड संख्या 327/1	306.66 वर्गगज	मिश्रित	आवासीय	व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति/कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में दर्ज करावें। अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

सदस्य सचिव (भू-उपयोग परिवर्तन समिति) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

विद्यार्थी अपने उद्देश्य के प्रति जुनूनी बनें: सांसद दीयाकुमारी

सांसद दीयाकुमारी ने प्रभावशाली उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान किए।

जयपुर। अजमेर में आयोजित राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि विद्यार्थियों को उद्देश्य से प्रेरित जीवन जीने और अपने काम के प्रति जुनूनी होना चाहिए।

सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि यह देखना उत्साहजनक है कि 14 वर्ष की छोटी सी समयावधि में विश्वविद्यालय ने शिक्षा, अनुसंधान और समग्र विकास के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय ने 2009 में सिर्फ 2 पाठ्यक्रमों के साथ अपनी यात्रा शुरू की और आज इसके 32 विभागों में 70 से अधिक पाठ्यक्रम हैं, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

■ राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 14वें स्थापना दिवस पर छात्रों को संबोधित किया

सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए काफी प्रगति की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) के माध्यम से, उन्होंने कई पहल शुरू की हैं जो कई शिक्षा लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में काम कर रही हैं। यह नीति शैक्षिक परिदृश्य को बदलने और सीखने को समठा बनाने के लिए एक मार्गदर्शक दर्शन है। यह गरीबी से लड़ने और हमारे देश के युवाओं को देश के लिए कुछ करने के कौशल और क्षमता के साथ तैयार करने का एक उपकरण है। कार्यक्रम के दौरान कई छात्रों को उनकी प्रभावशाली उपलब्धियों के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विनय सहस्त्रबुद्धे, वाटर मैन ऑफ इंडिया राज्यसभा सांसद राजेंद्र सिंह, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति प्रोफेसर आनंद भालेराव एवं रजिस्ट्रार प्रोफेसर डीसी शर्मा भी उपस्थित थे।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जान जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहितओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जान जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	22179653 एवं 33741682	सम्पत्ति पर ऋण	1. फरीद मोहम्मद 2. शबनम फरीद मोहम्मद	19.02.2022	35,75,638.43/-	रिहायशी सम्पत्ति, पट्टा नं. 38, खसरा नं. 3035, ग्राम व ग्राम पंचायत-नरेली, पंचायत समिति-श्रीनगर, जिला-अजमेर का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 293.33 वर्गगज, और सीमायें है-पूर्व-सम्पत्ति मालिक की सम्पत्ति, पश्चिम-गौरव का मकान, उत्तर-गफूर मोहम्मद का बाड़ा, दक्षिण- चांटा दुर्गा का मकान

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत हुआ हो वर्तमान में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत हुआ हो वर्तमान में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-
दिनांक- 04.03.2022 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान- अजमेर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)